

08/10/21

आज थड पत्रावली तलासत गांवों के संग भविष्य

राजेश कुमार

2021 ईस्य में मा.प. 10100 से पेश हुई।

अलदीप कुमार

वादीगण स्वयं उपस्थित) से भी मोर से

तहसीलदार राजेश रावला ने जवाब वादपत्र

पेश किया। सेट ने कोई एतराज सहित

नहीं किया। साक्ष के रूप में वादीगण

ने स्वयं का शपथ पत्र पेश किया। वसू

सुकी जाकर मजबूत किया गया। पत्रावली

का अकमोम करके पर पाया जाता है कि

वादी ने वादपत्र अंतर्गत धारा 88 RTI

पेश कर विवेक किया कि वादीगण एवं

वादीगण के आई सुशील कुमार के नाम से

तहसीलदार रावला ने चक 11 केडी के प.नं.

111/07 के बिलानं. 3 ता 8 की कुल 1.518

हैकटयर जमात मय जवाब शक्ति रूप राजेश



फर्द अहकाम

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>रिपोर्ट है। उक्त अधि जायते केयनाम दिनांक 21.04.2006 को खरीदशुदा है एवं खरीद के रोज को ही काद्रीगण एवं वादीगण का भाई संयुक्त रूप से वाकिल मारन चले जा रहे हैं। केयनाम बराते समय केयनाम में वादीगण के नाम राजेश व कुवरीप राय दर्ज कर दिये गये अर्थात् वादीगण के साथ नाम राजेश कुमार व कुवरीप कुमार हैं। केयनाम के अहकाम पर इन्तकाल दर्ज होने के कारण राजेश विरॉई पमावंगी में वादीगण के नाम राजेश व कुवरीप राय ठर कर दिये गये अर्थात् अन्य तमाम हस्तावेजों में वादीगण के नाम राजेश कुमार व कुवरीप कुमार हैं। इसलिये उक्त अधि में वादीगण के नाम राजेश कुमार व कुवरीप कुमार की होखता क्रिये जाके का किनेक क्रिया। वाद फल को दर्ज रनि क्रिया लाकर स्टेट से जगस थास क्रिया मया। स्टेट की ओर से तकसीवदार रापक रापक में जगस पेश क्रिया तथा केई पतराफ सन्तुत</p>	


आवक्य संका

संका संख्या : १२३४ संका संका संका संका संका संका	संका संका संका संका संका संका संका
--	------------------------------------

नदी किम) सद्य के लप से कादीगण
 के शपथ पत्र पेश किया तथा कर्म
 की गई। लेकिन कर्म कादीगण ने काद
 पत्र के कथनों को लेकरते हुए उक्त
 विवादित भूमि में कादीगण के सही नाम
 राजेश कुमार व कुलदीप कुमार द्वारा
 कर्ते की घोषणा किए जाने में विरोध
 किया। स्टेट की ओर से कोई एतराफ
 प्रस्तुत नहीं किया जाने की स्थिति में
 यह काद पत्र स्वीकार किया जाना
 न्यायोचित नहीं होता है।

अतः कादीगण का काद पत्र स्वीकार
 करते हुए उक्त विवादित भूमि तस्वीर सक्क
 के पत्र ॥ केडी-की प-र. ॥१/७ मु-र.
 १७ क्रि.कं. उता ४ मय खाल सक्का १.५१४ ई०
 कुलदीप राम पुत्र सुरजमल डि० ०१/३ के
 स्थान पर कुलदीप कुमार पुत्र सुरजमल
 डि० १/३ तथा राजेश पुत्र सुरजमल डि०
 १/३ के स्थान पर राजेश कुमार पुत्र सुरजमल
 डि० १/३ कर्ते की घोषणा की जाती है।

फर्द अहकाम

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>तथा तहसीलदार राजस्व शक्का को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिपोर्ट में सम्मिलित करें। पत्रावली के मूल शुमार होकर ठाकर से रू हो।</p> <p>यह आदेश भ्राप्य दिनांक 08.10.24 को बैंक में ग्रा.पं. 10KJ में मजम -ए-माम में लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">  (अभिलेख) उपखण्ड अधिकारी घडसाना </p>	